



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विदेशी मुद्रा विभाग

FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999

(1999 का 42)

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999

(42 OF 1999)

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक प्राधिकरण

प्राधिकरण सं.: CHG-FFMC-0128-2023

दिनांक: July 01, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा,

जीजीएस फॉरेक्स प्रा. लि.

एससीओ 43, भूतल, महिला आश्रम कॉम्प्लेक्स,

बस स्टैंड के पीछे, करनाल, हरियाणा 132001

Full Fledged Money Changer Authorisation

Authorisation No.: CHG-FFMC-0128-2023

Date: July 01, 2026

In exercise of the powers conferred under Section 10(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby authorises

GGS-FOREX PRIVATE LIMITED

SCO 43, GROUND FLOOR MAHILA ASHRAM COMPLEX BEHIND BUS STAND, KARNAL, Haryana, 132001

as a Full Fledged Money Changer (FFMC) subject to the conditions laid down hereunder:

1. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक द्वारा केवल वही विदेशी मुद्रा गतिविधियां की जाएंगे, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026 में अनुमत हैं।

2. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक की ओर से विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन केवल उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि / प्रतिनिधियों द्वारा ही किए जाएंगे।

3. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा आदेश का अनुपालन किया जाए।

4. यदि रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (क) ऐसा करना जनता के हित में है; अथवा (ख) प्राधिकृत व्यक्ति उन शर्तों के अनुपालन में असफल रहा है जिनके अधीन उसे प्राधिकृत किया गया था अथवा उसने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के किसी प्रावधान अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा आदेश का उल्लंघन किया है, तो यह प्राधिकरण किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

1. The FFMC shall undertake only those foreign exchange activities as are specified in Foreign Exchange Management (Authorised Persons) Regulations, 2026.

2. Only authorised representative/s of the FFMC shall undertake foreign exchange transactions on its behalf.

3. The provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 and any rule, regulation, notification, direction, or order made thereunder, shall be complied with.

4. This authorisation may be revoked at any time if the Reserve Bank is satisfied that (a) it is in public interest; or (b) the authorised person has failed to comply with any condition of authorisation or has contravened any of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 or any rule, regulation, notification, direction or order made thereunder.



कृते भारतीय रिज़र्व बैंक / For Reserve Bank of India

विपुल पेंजटा

सहायक महाप्रबंधक / Assistant General Manager

भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India

विदेशी मुद्रा विभाग / Foreign Exchange Department

चंडीगढ़ / Chandigarh